

III निगरानी/रीवा/शु-2/2017/2690

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
(म०प्र०)



राघवेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व० मोतीलाल शुक्ला निवासी
ग्राम-पहडिया, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा

आर.ए.ए. (म०प्र०)

द्वारा आज दि. 10-07-2017 को

स्तुत

18.8.17

..... निगरानीकर्ता

बनाम

सकल अर्थों में
राजस्व मण्डल

सकल अर्थों में श्री अरविन्द प्रसाद शुक्ला

2. अजीत कुमार शुक्ला तनय श्री अरविन्द प्रसाद शुक्ला

3. अरविन्द कुमार शुक्ला तनय स्व० मोतीलाल शुक्ला

सभी निवासी ग्राम-पहडिया, तहसील-रायपुर कर्चुलियान,
जिला-रीवा (म०प्र०)

..... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
तहसील-रायपुर कर्चु०, जिला-
रीवा म०प्र० राजस्व अपील
प्रकरण क्रमांक-35अ6/16-17
आदेश दिनांक 21-07-2017

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण:-

यह कि निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक-3 आपस
में सगे भाई एवं स्व० मोतीलाल शुक्ला के पुत्र है तथा
गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक-1 व 2 गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक-3
के पत्नी होने के कारण निगरानीकर्ता के सगे भतीजे है। स्व०

R. Prasad
आर. ए. ए.
18/08/17


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

68

प्रकरण क्रमांक 111/निगा/शेवा/भू-2/17/2690,

गोपालवन्त / रावणर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-1-19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>आर.एस. सेंगर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>रायपुर कुचुलिया</u> के प्रकरण क्रमांक <u>35/अ-6/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>21/07/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>शेवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18-4-19</u> को कलेक्टर जिला <u>शेवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	